



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014;

संख्या—FC/191/2020- 224

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०८०८०८०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—03/03/2021

विषय— श्री ललन कुमार द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत कमराव ग्राम के खाता संख्या—236, खेसरा संख्या—5811, अंचल—दलसिंहसराय में SH-88 दलसिंहसराय—कल्याणपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0255 है. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत कमराव ग्राम के खाता संख्या—236, खेसरा संख्या—5811, अंचल—दलसिंहसराय में SH-88 दलसिंहसराय—कल्याणपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0255 है. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री ललन कुमार, पिता—स्व. भोला सिंह, ग्राम—गोसपुर (पथ), पोर्ट+थाना—दलसिंहसराय, जिला—समस्तीपुर का प्रस्ताव जाँचोपरांत वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 235, दिनांक 08.02.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या—189ई./190ई., दिनांक 16.02.1994 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC-106, दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0255 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA 2006 प्रमाण—पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आस-पास कोई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है-

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.0255 हेक्टेएक्ट (ha) के लिए नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में ₹ ० ६.२६ लाख प्रति हेक्टेएक्ट के दर से ₹ ० १५,९६३/- (प्रदह हजार नौ सौ तिरसठ रुपये मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही हैं। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रॉची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC/191/2020- २२५

दिनांक—०३/०३/२०२१

प्रतिलिपि : श्री ललन कुमार, पिता—स्व. भोला सिंह, ग्राम—गोसपुर (पथ),
पोस्ट+थाना—दलसिंहसराय, जिला—समस्तीपुर, पिन—८४८११४ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ ०३.३.२०२१
(राकेश कुमार)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

श्री ललन कुमार द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत कमराव ग्राम के खाता संख्या—236, खेसरा संख्या—5811, अंचल—दलसिंहसराय में SH-88 दलसिंहसराय—कल्याणपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0255 है. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव का चेक लिस्ट—

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	2	3
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र—।	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	जियो रेफेरेन्स मैप (सी.डी. के साथ)	संलग्न।
5	BPCL कम्पनी द्वारा निर्गत LOI पत्र	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र—॥	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
8	स्थल गणना नक्शा।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन	संलग्न।
10	वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र—III	संलग्न।
11	FRA 2006 प्रमाण—पत्र के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 का पत्र	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र—IV	संलग्न।

०३.३.२०२१

 (राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
 —सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
 बिहार, पटना।